(41)

प्रपत्र – 23

कार्य का नाम :–जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत हनुमान मंन्दिर से स्यालसी गौरण मोटर मार्ग के का नव निर्माण (ल0–3.400)

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण – पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :– स्यालसी
तहसील :– धनौल्टी, जिला टिहरी गढवाल।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत हनुमान मन्दिर से स्यालसी गौरण मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.000 है0 आरक्षित वन भूमि 0.8775 है0 सिविल सोयम भूमि 0.0000 है0 वन पंचायत भूमि 0.00 है0 अर्थात् कुल 0.8775 है0 वनभूमि का लो0नि0वि0, थत्यूड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **स्यालसी,** द्वारा दिनांक 9/9/2015 को सम्पन्न उपरोक्त ग्रम पंचायतों की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम पंचायत वासीयों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि मे किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों की परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि उपरोक्त ग्राम पंचायत के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0, थत्यूड प्रयोक्ता एजेन्सी को हनुमान मन्दिर से स्यालसी गौरण मोटर मार्ग निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत सदस्य स्यालसी
(1) रामी देवी w/o जगमोहन
(2) त्रिलोकसिंह s/o खेमसिंह
(3) जगदीशदास s/o चन्दरदास
(4) अनुराधा w/o सुरेश प्रसाद
(5) वागोदेवी w/o ओमप्रकाश

ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत स्यालसी दशज्यूला
ह0 [illegible]
दि0 9/9/2015
वि0ख0 जौनपुर टिहरी

F:\Hanuman Mandir to Siyalsi Gouran motar marg.doc

(6) ममतादेवी w/o राजेन्द्र सिंह
(7) ममता देवी w/o शीशपाल सिंह

www.oxpdf.com

कार्य का नाम :–जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत हनुमान मंन्दिर से स्यालसी गौरण मोटर मार्ग के का नव निर्माण (ल0–3.400)

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण – पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :– गौरण
तहसील :– धनौल्टी, जिला टिहरी गढवाल।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत हनुमान मन्दिर से स्यालसी गौरण मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु **0.000 है0** आरक्षित वन भूमि **0.8775 है0** सिविल सोयम भूमि **0.0000 है0** वन पंचायत भूमि **0.00 है0** अर्थात् कुल **0.8775 है0** वनभूमि का लो0नि0वि0, थत्यूड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **गौरण,** द्वारा दिनांक 01-09-15 को सम्पन्न उपरोक्त ग्रम पंचायतों की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम पंचायत वासीयों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि मे किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों की परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि उपरोक्त ग्राम पंचायत के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0, थत्यूड प्रयोक्ता एजेन्सी को हनुमान मन्दिर से स्यालसी गौरण मोटर मार्ग निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत सदस्य

(1) जयेन्द्र सिंह (उपप्रधान)
(2) श्रीमती सुधा देवी सदस्य
(3) " शीला देवी "
(4) " कलमा देवी "
(5) श्री रमेश सिंह "
(6) श्री संजय "
(7) श्रीमती सरोजनी देवी "

ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत गौरण
ह0 [signature]
दि0 01-09-15
वि0 ख0 जौनपुर (टिहरी गढ़वाल)

www.oxpdf.com

प्रपत्र – 23 (74) (97)

कार्य का नाम :–जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत हनुमान मंन्दिर से स्यालसी गौरण मोटर मार्ग के का नव निर्माण (ल0–3.400)

कार्यालय उप जिलाधिकारी धनोल्टी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण –पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति धनोल्टी

उपखण्ड धनोल्टी परिक्षेत्र में राज्य योजना के अन्तर्गत हनुमान मंन्दिर से स्यालसी गौरण मोटर मार्ग के नव निर्माण (0.000 है0 आरक्षित वनभूमि 0.8775 है0, सिविल कुल भूमि (**0.8775 है0**) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता ऐजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील धनोल्टी) के दिनांक २२/९/२०१५ को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री देवानन्द शर्मा, उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षा में आयोजित की गई । बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :–

1.	श्री देवानन्द शर्मा	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	श्री नीरज कुमार शर्मा	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3.	श्री शूरवीर सिंह नेगी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव
4.	श्रीमती मुन्नी देवी	बी0डी0सी0 क्षेत्र पंचायत	सदस्य

मुन्नी देवी
सदस्य
क्षेत्र पंचायत स्यालसी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद टिहरी गढवाल में राज्य योजना के अन्तर्गत हनुमान मंन्दिर से स्यालसी गौरण मोटर मार्ग का नव निर्माण परियोजना हेतु 0.8775 है0 वनभूमि लो0नि0वि0 थत्यूड प्रयोक्ता ऐजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया ग्रामसभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है । उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धि नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए

www.oxpdf.com

जानकारी कसे माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्रामसभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा भी अनापत्ति जारी की जा सकती है। बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड धनोल्टी परिक्षेत्र के अन्तर्गत अगलाड – थत्यूड़ मोटर मार्ग के क्यारी से मसरास मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु **0.8775** है0 वनभूमि लो0नि0वि0 थत्यूड प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी ।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी, मसूरी वन प्रभाग

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील धनोल्टी
जनपद टिहरी गढवाल।

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील धनोल्टी
जनपद टिहरी गढवाल।

www.oxpdf.com

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढवाल के जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत हनुमान मन्दिर से स्यालसी गोरण मोटर मार्ग (लम्बाई 5 कि0मी0)

उप जिला अधिकारी द्वार प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद टिहरी गढवाल के जौनपुर ब्लॉक के हनुमान मन्दिर से स्यालसी गोरण मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.8775 है0 सिविल सोयम वनभूमि के गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 थत्यूड प्रयोक्ता एजेंसी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 11–9/98–एस0सी0 दिनांक 05.02.2013 के द्वारा सडक निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल पाईप लाईन बिछाने आदि परियोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के कम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

सहायक अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 थत्यूड (टि0ग0)	अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 थत्यूड (टि0ग0)	तहसीलदार धनोल्टी टिहरी गढवाल	उपजिलाधिकारी धनोल्टी टिहरी गढवाल

Form -4 Bachan P.W.D Thatvur (Rakesh)

www.oxpdf.com

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढवाल के जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत हनुमान मन्दिर से स्यालसी गोरण मोटर मार्ग (लम्बाई 5 कि0मी0)

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण--पत्र

जनपद टिहरी गढवाल के जौनपुर ब्लॉक के हनुमान मन्दिर से स्यालसी गोरण मोटर मार्ग के (लम्बाई 5.00 कि0मी0) हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (सिविल सोयम भूमि 0.8775 है0 कुल प्रस्तावित भूमि क्षेत्रफल 0.8775 है0) के गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 थत्यूड प्रयोक्ता ऐजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र सं0 11–9/98–एफ0सी0 दि0 05.02.13 के द्वारा रेखाकर (Liner) प्रयोजना यथा – सडक निर्माण, नहर निर्माण, पारेषंण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल, पाईप लाईन बिछाने आदि प्रयोजनों के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के कम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Premitive Tribal Group) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Premitive Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे है।

सहायक अभि0 अ0ख0, लो0नि0वि0, थत्यूड।	अधिशासी अभियन्ता अ0ख0, लो0नि0वि0, थत्यूड।	तहसीलदार धनोल्टी टिहरी गढवाल	उपजिलाधिकारी धनोल्टी टिहरी गढवाल

(इन्दुधर बौड़ाई)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

जिलाधिकारी
टिहरी गढवाल।

www.ovpdf.com

(77) 84

OFFICE OF DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT TEHRI GARHWAL UTTRAKHAND)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under schedule Tribes & Other Traditional Fores Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006

A meeting of the District Level Committee Tehri Garhwal District Constituted under FRA 2006 wad held under the chairmanship of Shri Yugal Kishor Pant I.A.S. District Collector Tehri Garhwal at New Tehri in Which the applicant claiming rights in Jaunpur Block area measuring **0.8775** Hectare for the costruction of **Hanuman Mandir to Siyalsi Goouran Motor Road** in Tehsil Dhanolty of forest land under FRA 2006 of the following application duly processed and recommended by the sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made and hence District Level committee recommended the above case for diversion for diverstion for the said purpose.

Place - Tehri

(इन्दुधर बौड़ाई)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

District Collector Cum Chairman
District Tehri Garhwal
New Tehri

F:\Hanuman Mandir to Siyalsi Gouran motar marg.doc

www.oxpdf.com

It is Further certified that Minutes fo **Hanuman Mandir to Siyalsi Goouran Motor Road** scheme regarding FRA is as following.

Sl. No.		Remark
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire 0.8775 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the forest Right committee (S) Gram Sabha sub Division Level committee (S) and District Level Committee are enclosed as annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection cerfificate concerned village regarding construction of aforesaid Motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

जिला पंचायत सदस्य
टिहरी गढवाल।

समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढवाल।

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी।

जिला पंचायत सदस्या
वार्ड नं. 12,
टि० ग०

प्रतिहस्ताक्षरित

जिला अधिकारी
टिहरी गढवाल।

अपर जिलाधिकारी
टिहरी गढवाल।

F:\Hanuman Mandir to Siyalsi Gouran motar marg.doc

www.oxpdf.com

FORM-4

(For Liner Projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector New Tehri

No 3759/XXV-138(2015-16) Dated 30.9.2016

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3 August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initialed and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006(FRA' for short)on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF' s letter dated 5 February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.8775** hectares of Civil forest land proposed to be diverted in favor of ~~forest~~ P.W.D. department (E.E. Try. Divi P.W.D Thatyur) Hanuman mandir to siyalsi goran Motor Road Scheme (purpose for diversion of forest land) in Tehri Garhwal district falls within jurisdiction of siyalsi, goran village (s) in Dhanolti, Tehsils.

It is further certified that.

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.8775** Hectare of Civil forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed in annexure.

(b) The diversion of the forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it,

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre-agricultural communities.

Enclosure. As above

Executive Engineer.
Ty.Div.PWD Thatyur

Tehsildar
~~Dehradun~~ Dhanolti

S.D.M.
~~Dehradun~~ DHANOLTI

(इन्दुधर बौड़ाई)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।
District Collector
Deharadun

www.ceopocl.com

Form -4 Bachan P.W.D Thatvur (Rakesh)

www.oxpdf.com